



**प्रेस नोट      पुलिस कमिश्नरेंट गाजियाबाद      दिनांक 17.04.2026**

## **थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही का विवरण:-** वादिया/पीड़िता द्वारा अभियुक्त आकाश पुत्र शिवलाल नि0 भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद द्वारा जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना जिससे वादिया/पीड़िता का गर्भवती हो जाना व पीड़िता के किसी अन्य को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सेक्टर 03 चंडीगढ पर जीरो एफआईआर पंजीकृत करायी थी । उपरोक्त जीरो एफआईआर में घटना स्थल थाना क्षेत्र कौशाम्बी का होने के कारण उच्चाधिरीगण के आदेशानुसार दिनांक 10.04.2026 को थाना हाजा पर अन्तर्गत धारा 65(1)351(3) बीएनएस व 6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । विवेचना से धारा 5J(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । जिसके क्रम में आज दिनांक 17.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आकाश पुत्र शिवलाल हाल निवासी दीपक पण्डित के मकान में किराएदार ग्राम भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी गांव जलालपुर थाना सण्डीला जनपद हरदोई उम्र करीब 20 वर्ष को खण्हर बिल्डिंग आनन्द बिहार बोर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि पीड़िता मेरे ही गाँव जलालपुर थाना सण्डीला जनपद हरदोई की रहने वाली है । मैं 01 वर्ष पहले ग्राम भौवापुर कौशाम्बी में सुखबीर गुर्जर पुत्र उदय सिंह नि0 पण्डित मौहल्ला दुर्गा मन्दिर के पास के मकान में किराए पर कमरा लेकर रहता था मेरा दोस्त सुमित पीड़िता को मेरे कमरे पर लेकर आया था जो पीड़िता को मेरे पास छोडकर चला गया था फिर मैंने पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे। जिससे वो गर्भवती हो गयी थी । आज मैं अपने गाँव जलालपुर हरदोई जा रहा था कि आपने पकड लिया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

आकाश पुत्र शिवलाल हाल निवासी दीपक पण्डित के मकान में किराएदार ग्राम भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी गांव जलालपुर थाना सण्डीला जनपद हरदोई उम्र करीब 20 वर्ष ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

## थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध गांजा तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 6 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आज दिनांक **17.04.2026** को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना एवं लोकल इनपुट के आधार पर अवैध गांजा तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम **अकील अहमद पुत्र वसीर अहमद उर्फ रशीद अहमद**, निवासी मोहल्ला नवीकरीम, निकट मेरठ गेट पुलिस चौकी, हापुड़ खास, जनपद हापुड़, उम्र लगभग 28 वर्ष है। अभियुक्त को **चाँदमारी झुग्गी-झोपड़ी के पीछे, साइड ग्राउंड के पास पीपल के पेड़ के नीचे** से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से **6 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद** किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह गांजा बाहर से खरीदकर छोटी-छोटी पुड़ियों में पैक कर नोएडा, दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में बेचता है तथा प्राप्त धनराशि से अपने शौक पूरे करता है। आज भी वह गांजा बेचने के लिए नोएडा जा रहा था, तभी चाँदमारी झुग्गी-झोपड़ी के पास पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया । गांजा कहां से लाता है, इस पर अभियुक्त ने बताया कि उसे हर बार अलग-अलग व्यक्ति रास्ते में माल देकर चला जाता है, जिन्हें वह पहचानता नहीं है ।

### बरामदगी का विवरण- 6 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास- अभियुक्त अकील अहमद उपरोक्त के विरुद्ध **एनडीपीएस एक्ट** के अंतर्गत थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद में **02 अभियोग पंजीकृत** हैं।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम